रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1973/अग्रहायण 21, 1895
No. 300] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 1973/AGRAHAYANA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th December 1973

No. PL-4(28)/72.—It has been decided to include the Director, Research Institute, Public Works Department, Uttar Pradesh, as a Member of the Central Assessment Committee reconstituted *vide* this Ministry's Resolution No. PL-A(28)/72, dated the 23rd March, 1973. Accordingly, for the existing entry (2) below (vi) and (vii) in that resolution, the following shall be substituted:

Director, Research Institute, Public Works Department, Uttar Pradesh (Dr. A. K. Chatterjee).

2. His nomination on the Committee will be on the same terms and conditions as mentioned in the aforesaid Resolution.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to all the State Governments/Administrations, the Planning Commission, Ministry of Finance (T & P Division), Ministry of Education (Department of Science), Director General, Council of Scientific and Industrial Research, Director, Central Road Research Institute, President, I.R.C., Shri K. K. Nambier, Cement Service Bureau, Madras-18, Tamil Nadu, Secretary I.R.C. and Dr. A. K. Chatterjee, Director, Research Institute, Public Works Department, U.P., Lucknow.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

J. S. MARYA,
Director General (Road Development) & Addl. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1973

सं० पी० एल–4(28)/72.—यह निश्चय किया गया है कि निदेशक, अनुसंधान संस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस मंत्रालय के संकल्प सं० पी एल–4 (28)/72 दिनांक 23 मार्च, 1973 में पुनर्गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाये। तदनुसार उक्त संकल्प की वर्तमान प्रविष्टि (2) के नीचे (VI) और (VII) के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी:—

निदेशक, अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश,
(डा० ए० के० चटर्जी)

2. समिति में उनका नामांकन उन्हीं शर्तों पर होगा जिनका उक्त संकल्प में उल्लेख किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय (टी एन्ड पी डिविजन), शिक्षा मंत्रालय (विज्ञान विभाग), महानिदेशक, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान अध्यक्ष, भारतीय रोड्स कांग्रेस, श्री के० के० नम्बियार, सोमेन्ट सर्विस ब्यूरो, मद्रास–18, तमिल नाडु, सचिव, भारतीय रोड्स कांग्रेस और डा० ए० के० चटर्जी, निदेशक, अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जगदेव सिंह मड़िया,
महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973